अध्याय I
राजस्व क्षेत्र

अध्याय - I

राजस्व क्षेत्र

1.1 प्रस्तावना

1.1.1 राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

1.1.1.1 वर्ष 2015-16 के दौरान राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार (रा.रा.क्षे.दि.स.) द्वारा उत्थित कर एवं गैर–कर राजस्व, राज्य को दिए गए विभाज्य संघीय करों एवं शुल्क के शुद्ध लाभों के राज्य अंश और वर्ष के दौरान भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदानों एवं पिछले चार वर्षों के तत्संबंधी आंकड़े **तालिका-1.1** में नीचे दिए गए है।

तालिका-1.1: राजस्व प्राप्तियों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16
1.	**राज्य सरकार द्वारा उत्थित राजस्व**					
	कर राजस्व	19,971.67	23,431.52	25,918.69	26,603.90	30,225.16
	गैर–कर राजस्व	460.87	626.93	659.14	632.55	515.40
	योग	**20,432.54**	**24,058.45**	**26,577.83**	**27,236.45**	**30,740.56**
2.	**भारत सरकार से प्राप्तियां**					
	सहायता अनुदान	1,960.64	1,502.52	1,402.86	2,348.14	4,258.29
3.	**राज्य सरकार की कुल राजस्व प्राप्तियां (1 तथा 2)**	**22,393.18**	**25,560.97**	**27,980.69**	**29,584.59**	**34,998.85**
4.	**1 से 3 तक की प्रतिशतता**	**91**	**94**	**95**	**92**	**88**

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2015-16 के दौरान रा.रा.क्षे. दिल्ली द्वारा वसूल किया गया राजस्व (₹ 30,740.56 करोड़) कुल राजस्व प्राप्तियों का 88 *प्रतिशत* था। 2015-16 के दौरान शेष 12 *प्रतिशत* प्राप्तियां भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान थीं।

1.1.1.2 2011-12 से 2015-16 की अवधि के दौरान उत्थित कर राजस्व का विवरण **तालिका-1.2** में दिया गया है।

तालिका-1.2 : उत्थित कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2015–16 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता	
		ब.अ.[1]	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	2015–16 के ब.अ. पर वास्तविक	2014–15 की अपेक्षा 2015–16 में वास्तविक
1	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	14,000.00	13,750.95	16,500.00	15,803.68	18,200.00	17,925.71	19,000.00	18,289.31	21,000.00	20,245.82	(-)3.59	(+)10.70
2	राज्य उत्पाद शुल्क	2,400.00	2,533.72	3,000.00	2,869.74	3,200.00	3,151.63	3,550.00	3,422.39	4,500.00	4,237.69	(-)5.83	(+)23.82
3	स्टॉम्प ड्यूटी	2,399.97	2240.25	3,799.97	3,098.06	3,799.98	2,969.07	2,938.15	2,779.88	3,449.98	3,433.60	(-)0.47	(+)23.52
4	मोटर वाहनों पर कर	950.00	1,049.19	1,370.00	1,240.18	1,400.00	1,409.27	1,600.00	1,558.83	1,700.00	1,607.01	(-)5.47	(+)3.09
5	अन्य	378.00	397.54	487.00	419.84	475.00	463.00	520.00	491.70	720.00	700.53	(-)2.70	(+)42.47
6	भू–राजस्व	0.03	0.01	0.03	0.01	0.02	0.01	61.85	61.79	0.02	0.51	(+)2450.00	(-)99.17
कुल		**20,128.00**	**19,971.66**	**25,157.00**	**23,431.51**	**27,075.00**	**25,918.69**	**27,670.00**	**26,603.90**	**31,370.00**	**30,225.16**		

स्रोतः वित्त लेखे

[1]बजट अनुमान

वर्ष 2015-16 के लिए राज्य उत्पाद शुल्क तथा मोटर वाहन कर के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमान (ब.अ.) से क्रमशः 5.83 तथा 5.47 *प्रतिशत* तक कम हुई। बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर शीर्ष के अंतर्गत वर्ष 2015-16 के लिए वास्तविक प्राप्तियां 10.70 *प्रतिशत* वृद्धि के साथ ₹ 18,289.31 करोड़ से ₹ 20,245.82 करोड़ हो गई जबकि भू–राजस्व पिछले वर्ष की तुलना में 99.17 *प्रतिशत* की कमी के साथ ₹ 61.79 करोड़ से ₹ 0.51 करोड़ हो गया।

परिवहन विभाग ने बताया कि राजस्व संग्रहण में कमी का कारण 2000 सीसी से अधिक के डीजल वाहनों के पंजीकरण पर प्रतिबंध था।

1.1.1.3 2011–12 से 2015–16 की अवधि के दौरान उत्थित गैर–कर राजस्व का विवरण नीचे **तालिका–1.3** में इंगित किया गया है।

तालिका–1.3: उत्थित गैर-कर राजस्व का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	2011-12		2012-13		2013-14		2014-15		2015-16		2014–15 की अपेक्षा 2015–16 में वृद्धि (+) अथवा कमी (–) की प्रतिशतता	
		ब.अ.	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	ब.अ	वास्तविक	2015–16 के ब.अ. पर वास्तविक	2014–15 की अपेक्षा 2015–16 में वास्तविक
1	ब्याज प्राप्तियां	369.81	174.14	473.54	340.03	754.50	379.35	604.00	350.52	173.16	82.53	(-)52.34	(-)76.45
2	चिकित्सा एवं जन स्वास्थ्य	41.00	47.56	44.24	54.32	65.00	63.05	73.00	58.20	129.23	125.88	(-)2.59	(+)116.29
3	लोक निर्माण	20.00	26.15	23.10	25.55	20.00	18.59	17.50	14.74	19.00	18.47	(-)2.79	(+)25.31
4	पॉवर	15.00	12.12	14.00	9.93	22.01	18.46	24.01	16.38	32.01	42.06	(+)31.40	(+)156.78
5	अन्य प्रशासनिक सेवाएं	78.00	92.93	91.00	95.60	115.00	91.04	112.17	98.91	106.18	89.43	(-)15.78	(-)9.58
6	अन्य गैर–कर प्राप्तियां	116.66	107.97	123.66	101.50	111.42	88.65	133.32	93.79	109.42	157.03	(+)43.51	(+) 67.43
कुल		**640.47**	**460.87**	**769.54**	**626.93**	**1,087.93**	**659.14**	**964.00**	**632.54**	**569.00**	**515.40**		

स्रोतः वित्त लेखे

वर्ष 2015-16 के लिए ब्याज प्राप्तियां तथा अन्य प्रशासनिक सेवाओं के शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियां बजट अनुमान से क्रमशः 52.34 *प्रतिशत* तथा 15.78 *प्रतिशत* तक कम हो चुकी थीं। वर्ष 2015-16 के लिए चिकित्सा तथा जन स्वास्थ्य एवं पॉवर शीर्षों के अंतर्गत वास्तविक प्राप्तियों में पिछले वर्ष की तुलना में क्रमशः 116.29 *प्रतिशत* एवं 156.78 *प्रतिशत* तक वृद्धि हो चुकी थी जबकि ब्याज प्राप्ति शीर्ष के अंतर्गत पिछले वर्ष की तुलना में 76.45 *प्रतिशत* की कमी हुई।

संबंधित विभागों ने विचलनों का विस्तृत कारण प्रस्तुत नहीं किया था (नवंबर 2016)।

1.1.2 राजस्व के बकायों का विश्लेषण

राजस्व के कुछ मुख्य शीर्षों के अंतर्गत 31 मार्च 2016 तक ₹ 24,517.22 करोड़ राशि का राजस्व बकाया था जिसमें से ₹ 14,312.14 करोड़ पांच वर्षों से अधिक समय से बकाया था जैसा नीचे **तालिका-1.4** में दिया गया है।

तालिका–1.4: राजस्व का बकाया

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	राजस्व शीर्ष	31 मार्च 2016 तक कुल बकाया राशि	31 मार्च 2016 तक 5 वर्षों से अधिक की बकाया राशि	टिप्पणी
1.	बिक्री व्यापार इत्यादि पर कर	24,244.89	14,312.14	राजस्व बकायों के कारणों को विभाग द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया
2.	राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर	272.33	0.00	न्यायालय में लंबित
कुल		**24,517.22**	**14,312.14**	

1.1.3 कर निर्धारण में बकाया

वर्ष के प्रारंभ में लंबित मामलों, निर्धारण हेतु बकाया होने वाले मामलों, वर्ष के दौरान निपटान किए गए मामलों तथा व्यापार एवं कर विभाग और राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग द्वारा यथाप्रस्तुत वर्ष के अंत में अंतिम रूप देने हेतु लंबित मामलों की संख्या का विवरण नीचे **तालिका-1.5** में दिया गया है।

तालिका–1.5: कर निर्धारण में बकाया

राजस्व शीर्ष	प्रारंभिक शेष	2015–16 के दौरान निर्धारण हेतु बकाया नए मामले	बकाया कुल निर्धारण	2015–16 के दौरान निपटान किए गए मामले	वर्ष की समाप्ति पर शेष मामले	निपटान की प्रतिशतता (कॉलम 5 से 4)
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**
बिक्री, व्यापार इत्यादि पर कर	57	4,15,554	4,15,611	4,15,611	0	100
राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर	1,461	18	1,479	7	1,472	0.47

स्रोतः व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग

निर्धारण मामलों के निपटान की *प्रतिशतता* राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग के संबंध में 0.47 *प्रतिशत* थी।

1.1.4 विभाग द्वारा पता लगाया गया कर अपवंचन

2015–16 के दौरान, प्रवर्तन शाखा (व्यापार एवं कर विभाग) ने खोज के आधार पर 361 मामलों का पता लगाया तथा ₹ 169.49 करोड़ की मांग उत्थित की तथा उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर विभाग ने 18 मामलों का पता लगाया तथा आठ मामलों में ₹ 166.28 करोड़ की मांग उत्थित की।

1.1.5 कर वापसी के बकाया मामलों का विवरण

वर्ष 2015-16 के प्रारंभ में लंबित कर वापसी के मामलों की संख्या, वर्ष के दौरान प्राप्त किए गए दावों, वर्ष के दौरान अनुमत वापसियों तथा 2015-16 के अंत में लंबित मामलों की संख्या जैसा व्यापार एवं कर विभाग द्वारा बताया गया है, को नीचे **तालिका–1.6** में दिया गया है।

तालिका–1.6: कर वापसी के बकाया मामलों का विवरण

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	बिक्री कर/वैट		मनोरंजन कर		स्टाम्प एवं पंजीकरण	
		मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि	मामलों की संख्या	राशि
1	वर्ष के प्रारंभ में बकाया दावे	3,876	139.15	शून्य	शून्य	प्रस्तुत नहीं किया गया	प्रस्तुत नहीं किया गया
2	वर्ष के दौरान प्राप्त दावे	4,163	157.07	24	0.73	743	30.49
3	कुल दावे	8,039	296.22	24	0.73	743	30.49
4	वर्ष के दौरान की गई वापसियां	7,299	253.91	06	0.13	प्रस्तुत नहीं किया गया	26.04
5	कुल दावे से वापसियों की *प्रतिशतता*	90.79	85.72	25	17.81	प्रस्तुत नहीं किया गया	85.41
6	वर्ष के अंत में बकाया शेष	740	42.31	18	0.60	प्रस्तुत नहीं किया गया	4.45

यदि अधिक राशि आदेश की तिथि से 60 दिनों के अंदर व्यापारियों को वापस नहीं की जाती है तो दिल्ली मूल्य वर्धित कर अधिनियम (दि.मू.व.क. अधिनियम) का सेक्शन 42 सरकार द्वारा अधिसूचित वार्षिक दर पर ब्याज के भुगतान का प्रावधान करता है। निर्धारित अवधि के अन्दर दावों की वापसियां न करने पर ब्याज का भुगतान करना पड़ सकता है।

1.1.6 लेखापरीक्षा के प्रति सरकार/विभागों की प्रतिक्रिया

महालेखाकार (लेखापरीक्षा), दिल्ली (म.ले.) नियमों तथा प्रक्रियाओं में जैसा निर्धारित है, के अनुसार लेन–देनों की नमूना जांच तथा लेखों व अन्य अभिलेखों के रख–रखाव को सत्यापित करने के लिए सरकारी विभागों के आवधिक निरीक्षण को संचालित करता है। निरीक्षण के दौरान सामने आई अनियमितताओं तथा जिन मामलों का निपटान मौके पर न हो सका, उन्हें निरीक्षण प्रतिवेदन (नि.प्र.) में शामिल करके शीघ्र उचित कार्रवाई के लिए आगे उच्च प्राधिकारियों को निरीक्षण प्रतिवेदन की प्रति के साथ निरीक्षित कार्यालय के अध्यक्षों को जारी किया जाता है तथा इन निरीक्षणों का निरीक्षण प्रतिवेदन के जरिए अनुसरण होता है। कार्यालय अध्यक्षों/सरकार से नि.प्र. में दर्शाई गई अभ्युक्तियों की शीघ्र अनुपालना, त्रुटियों एवं गलतियों को सुधारना तथा नि.प्र. की प्राप्ति की तिथि से चार सप्ताह के अंदर म.ले. को अनुपालना प्रतिवेदन भेजना अपेक्षित होता है। गंभीर वित्तीय अनियमितताओं को विभागाध्यक्षों तथा सरकार को भेजा जाता है।

पिछले 10 वर्षों के दौरान जारी की गई निरीक्षण प्रतिवेदनों की संक्षिप्त स्थिति, इन प्रतिवेदनों में शामिल पैराग्राफों एवं 31 मार्च 2016 तक उनकी स्थिति नीचे **तालिका–1.7** में सारणीबद्ध की गई है।

तालिका 1.7: निरीक्षण प्रतिवेदनों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	वर्ष	प्रारंभिक शेष			वर्ष के दौरान जोड़े गए			वर्ष के दौरान निकासी			वर्ष के दौरान अंत शेष		
		नि.प्र.	पैराग्राफ	धनराशि	नि.प्र.	पैराग्राफ	धनराशि	नि.प्र.	पैराग्राफ	धनराशि	नि.प्र.	पैराग्राफ	धनराशि
1.	**2006-07**	424	4,250	1,253.72	64	880	320.51	265	2,548	543.25	223	2,582	1,030.98
2.	**2007-08**	223	2,582	1,030.98	62	1329	1,077.42	79	1,266	349.89	206	2,645	1,758.51
3.	**2008-09**	206	2,645	1,758.51	89	2265	1,748.24	6	429	413.39	289	4,481	3,093.36
4.	**2009-10**	289	4,481	3,093.36	108	2972	2,900.71	11	301	218.47	386	7,152	5,775.60
5.	**2010-11**	386	7,152	5,775.60	54	2009	1,831.89	85	564	434.09	355	8,597	7,173.40
6.	**2011-12**	355	8,597	7,173.40	96	2204	3,079.27	24	657	394.02	427	10,144	9,858.65
7.	**2012-13**	427	10,144	9,858.65	104	1610	1,209.64	62	520	571.99	469	11,234	10,496.31
8.	**2013-14**	469	11,234	10,496.31	92	790	1,099.45	3	83	-	558	11,941	11,595.76
9.	**2014-15**	558	11,941	11,595.76	76	506	159.57	15	159	7.40	619	12,288	11,747.93
10.	**2015-16**	619	12,288	11,747.93	80	458	52.23	09	129	4.12	690	12,617	11,796.04

2006–07 में ₹ 1,253.72 करोड़ की राशि को शामिल करते हुए 4,250 पैराग्राफ थे परन्तु वर्ष 2015–16 के अंत में ₹ 11,796.04 करोड़ की धनराशि को शामिल करते हुए लंबित पैराग्राफों की संख्या बढ़कर 12,617 हो गई जिससे यह संकेतित होता है कि विभाग ने बकाया पैराग्राफों को निपटाने हेतु कोई पर्याप्त कदम नहीं उठाया।

1.1.6.1 विभागीय लेखापरीक्षा समिति की बैठकें

सरकार नि.प्र. में शामिल लेखापरीक्षा पैराग्राफों के निपटान की प्रगति को तीव्र करने एवं निगरानी हेतु लेखापरीक्षा समितियों का गठन करती है। यद्यपि, वर्ष 2015–16 के दौरान व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर, परिवहन तथा राजस्व विभाग के द्वारा लेखापरीक्षा समिति की कोई बैठक आयोजित नहीं की गयी थी। यह सिफारिश की जाती है कि सरकार को आवधिक बैठकें आयोजित करनी चाहिए तथा बकाया पैराग्राफों के निपटान हेतु ठोस प्रयास करने चाहिए।

1.1.6.2 संवीक्षा के लिए लेखापरीक्षा को अभिलेखों की गैर–प्रस्तुति

कर राजस्व कार्यालयों के स्थानीय लेखापरीक्षा का कार्यक्रम पर्याप्त रूप से पहले ही बना लिया जाता है तथा सामान्यतः लेखापरीक्षा आरंभ करने से एक माह पूर्व विभागों को सूचनाएं जारी कर दी जाती हैं, जिससे विभाग लेखापरीक्षा संवीक्षा हेतु संबंधित अभिलेखों को तैयार रखे।

व्यापार एवं कर विभाग ने वर्ष 2015–16 के दौरान मांगी गई 11,202 फाइलों/मामलों में से 8,813 निर्धारण फाइलें/मामले (79 *प्रतिशत*) लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया। परिणामस्वरूप इन मामलों में शामिल राजस्व को सुनिश्चित नहीं किया जा सका।

1.1.6.3 लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई–संक्षिप्त स्थिति

लोक लेखा समिति (लो.ले.स.) निर्धारित करती है कि राज्य विधान सभा में भारत के नियंत्रक–महालेखापरीक्षक के प्रतिवेदन की प्रस्तुति के पश्चात् विभाग लेखापरीक्षा पैराग्राफों पर कार्रवाई प्रारंभ करें तथा उन पर एक्शन टेकन नोट्स (ए.टी.एन.) रिपोर्ट को प्रस्तुत करने के चार महीने के अंदर सरकार द्वारा समिति के विचारार्थ प्रस्तुत की जानी चाहिए। यद्यपि, 31 मार्च 2011, 2012, 2013, 2014 एवं 2015 को समाप्त वर्षों हेतु रा.रा.क्षे.दि.स. के राजस्व

क्षेत्रों पर भारत के नि.म.ले.प. के प्रतिवेदनों में शामिल 33 पैराग्राफों तथा छः निष्पादन लेखापरीक्षा (नि.ले.प.) के संदर्भ में प्रतिवेदनों पर ए.टी.एन. विलंबित थे जिन्हें राज्य विधान सभा के समक्ष मार्च 2012 से जून 2016 के बीच रखा गया। संबंधित विभागों से इन लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में से प्रत्येक के संबंध में ए.टी.एन. छः माह की औसत देरी से प्राप्त हुए। 31 मार्च 2011, 2012, 2013, 2014 तथा 2015 को समाप्त वर्ष हेतु लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों के संबंध में विभागों से 18 पैराग्राफों तथा तीन नि.ले.प. से संबंधित ए.टी.एन. प्राप्त नहीं हुए जैसा नीचे **तालिका–1.8** में दर्शाया गया है।

तालिका–1.8: पैराग्राफ एवं निष्पादन लेखापरीक्षा तथा ए.टी.एन. का विवरण

क्र. सं.	31 मार्च को समाप्त वर्ष का प्रतिवेदन	प्रतिवेदन में छपे पैराग्राफ एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या	पैराग्राफों एवं निष्पादन लेखापरीक्षाओं की संख्या जिसके लिए ए.टी.एन. प्रतीक्षित थे
1	**2011**	12+3 (नि.ले.प.)	10+1 (नि.ले.प.)
2	**2012**	16+1 (नि.ले.प.)	3+0 (नि.ले.प.)
3	**2013**	2+1 (नि.ले.प.)	2+1 (नि.ले.प.)
4	**2014**	3+0 (नि.ले.प.)	3+0 (नि.ले.प.)
5	**2015**	0+1 (नि.ले.प.)	0+1 (नि.ले.प.)
कुल		**33+6 (नि.ले.प.)**	**18+3 (नि.ले.प.)**

लो.ले.स. ने 2010–11 से 2014–15 की अवधि के लिए लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों (राजस्व क्षेत्र) से संबंधित पैराग्राफों पर चर्चा नहीं की।

1.1.7. स्वीकृत मामलों की वसूली

पिछले 10 वर्षों के लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों में शामिल किए गए पैराग्राफों की स्थिति, विभागों द्वारा स्वीकृत पैराग्राफ तथा वसूल की गई धनराशि को नीचे **तालिका–1.9** में दर्शाया गया है।

तालिका–1.9: शामिल, स्वीकृत तथा वसूल की गई राशि के पैराग्राफों की स्थिति

(₹ करोड़ में)

लेखापरीक्षा प्रतिवेदन के वर्ष	शामिल किए गए पैराग्राफों की संख्या	पैराग्राफों की धनराशि (₹ करोड़ में)	स्वीकृत पैराग्राफों की संख्या	स्वीकृत धनराशि (₹ करोड़ में)	वर्ष 2015–16 के दौरान वसूली गई राशि (₹ करोड़ में)	31 मार्च 2016 तक स्वीकृत मामलों की वसूली की संचयी स्थिति (₹ करोड़ में)	वसूली की प्रतिशतता
2005-06	20	177.85	13	18.44	-	0.06	0.33
2006-07	16	254.93	13	209.06	-	0.27	0.13
2007-08	11	945.52	7	28.17	-	0.18	0.64
2008-09	15	1,729.62	7	109.00	-	0.14	0.13
2009-10	18	1,764.20	5	49.36	-	0.39	0.79
2010-11	15	1,479.98	4	58.00	-	0.06	0.10
2011-12	17	2,363.11	1	19.14	-	1.23	6.43
2012-13	3	536.00	3	70.16	-	00	0.00
2013-14	3	98.39	3	20.83	-	00	0.00
2014-15	1	1.34	1	1.34	0.02	0.02	1.49
कुल	**119**	**9,350.94**	**57**	**583.50**	**0.02**	**2.35**	**0.40**

उपरोक्त तालिका से यह स्पष्ट है कि वसूली की प्रगति, यहां तक कि स्वीकृत मामलों में भी, नगण्य थी। वर्ष 2005–06 से 2014–15 के प्रतिवेदनों में ₹ 9,350.94 करोड़ राशि की लेखापरीक्षा प्राप्तियां शामिल थी, जिसमें से ₹ 583.50 करोड़ की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां विभाग द्वारा स्वीकृत की गई थीं। यद्यपि केवल ₹ 2.35 करोड़ (0.40 *प्रतिशत*) की राशि विभाग द्वारा वसूल की गई।

विभाग द्वारा स्वीकृत मामलों में बकाया राशि की वसूली का अनुसरण तथा निगरानी हेतु शीघ्र कार्रवाई की जाए।

1.1.8 लेखापरीक्षा योजना

विभिन्न विभागों के अंतर्गत इकाई कार्यालयों को उनकी राजस्व स्थिति लेखापरीक्षा की पिछली प्रवृत्तियों, अभ्युक्तियों तथा अन्य परिमापों के अनुसार उच्च, मध्यम तथा निम्न जोखिम इकाईयों में श्रेणीबद्ध किया जाता है। वार्षिक लेखापरीक्षा योजना जोखिम विश्लेषण के आधार पर तैयार की जाती है जिसे बजट भाषण, राज्य वित्तों पर श्वेत पत्र, वित्त आयोग के प्रतिवेदन (राज्य तथा केन्द्र), कर सुधार समिति की सिफारिशें, अर्जित राजस्व का सांख्यिकीय विश्लेषण, लेखापरीक्षा कार्यक्षेत्र तथा पिछले पांच वर्षों के दौरान इसके प्रभाव पर प्रकाश डाले गए मामलों पर ध्यान दिया जाता है।

वर्ष 2015–16 के दौरान, लेखापरीक्षा योग्य 153 इकाइयां थी, जिनमें से 80 इकाइयों की योजना की गई तथा लेखापरीक्षा की गई।

1.1.9 लेखापरीक्षा के परिणाम

1.1.9.1 वर्ष के दौरान संचालित की गई स्थानीय लेखापरीक्षा की स्थिति

वर्ष 2015–16 के दौरान व्यापार एवं कर, राज्य उत्पाद शुल्क, परिवहन तथा राजस्व विभाग की 80 इकाइयों के अभिलेखों की नमूना जांच की गई जिसमें 459 पैराग्राफों में शामिल ₹ 164.17 करोड़ का अवनिर्धारण/कर का कम उद्ग्रहण/राजस्व की हानि तथा अन्य अनियमितताओं को दर्शाया गया जैसा नीचे **तालिका–1.10** में श्रेणीबद्ध किया गया है।

तालिका–1.10: श्रेणीवार लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां

(₹ करोड़ में)

क्र.सं.	श्रेणियां	पैराओं की संख्या	राशि
बिक्री कर/मूल्य वर्धित कर			
1	राजस्व बकाया के संग्रहण के लिए पद्धति	1	116.76
2	मांग की गैर वसूली तथा परिणामस्वरूप ब्याज की हानि	3	3.47
3	कर की रियायती दर की अनियमित अनुमति	2	1.54
4	अन्य अनियमितताएं	237	36.44
कुल		**243**	**158.21**
मोटर वाहन कर			
1	विविध अनियमितताएं	72	-
कुल		**72**	**-**
स्टाम्प ड्युटी तथा पंजीकरण शुल्क तथा राज्य उत्पाद शुल्क, मनोरंजन एवं विलासिता कर			
1	क्षेत्रों के गलत वर्गीकरण के परिणामस्वरूप स्टाम्प ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ	2	0.36
2	अन्य अनियमितताएं	142	5.60
कुल		**144**	**5.96**
कुल योग		**459**	**164.17**

वर्ष के दौरान, लेखापरीक्षा ने ₹ 164.17 करोड़ के राजस्व कम गैर उद्ग्रहण के मामलों को इंगित किया जिसमें से संबंधित विभागों ने अवनिर्धारण तथा अन्य कमियों की राशि ₹ 7.02 करोड़ को स्वीकार किया तथा ₹ एक लाख की राशि की वसूली की जिसे 2015–16 के दौरान लेखापरीक्षा में इंगित किया गया।

1.1.10 राजस्व अध्याय का कवरेज

इस अध्याय में ₹ 122.97 करोड़ के वित्तीय प्रभाव को शामिल करते हुए चार पैराग्राफ हैं। विभाग ने ₹ 7.02 करोड़ की लेखापरीक्षा अभ्युक्तियां स्वीकार की जिसमें से ₹ एक लाख की वसूली की गई। पैराग्राफ सरकार को भेजे गए, उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

1.2 राजस्व के बकायों की वसूली की प्रणाली

व्यापार एवं कर विभाग में बकाया राशि 2012–13 के प्रारंभ में ₹ 15,249.16 करोड़ से 31 *प्रतिशत* बढ़कर 2014–15 के अंत में ₹ 20,039.34 करोड़ हो गई। व्यापार एवं कर विभाग तथा उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग में लंबित मांग मामलों में वसूली प्रक्रिया को प्रारंभ नहीं किया गया जिसका अर्थ निहित प्रणाली में कमियां तथा कमजोर आंतरिक जांच का होना है। भुगतानों के अनुचित प्रतिफल तथा प्रणाली डिजाइन के दोष के परिणामस्वरूप मांगों की वसूली नहीं हुई। मूल्य वर्धित कर में ₹ 80.53 लाख की वापसी की स्वीकृति दी गई, यद्यपि व्यापारियों के पंजीकरण रद्द हो गए थे। उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग में राजस्व के बकायों तथा भुगतान की जांच करने के लिए मांग तथा संग्रहण रजिस्टर का उचित अनुरक्षण नहीं किया गया।

1.2.1 प्रस्तावना

रा.रा.क्षे. दिल्ली सरकार में राजस्व का मुख्य स्रोत शराब तथा वस्तुओं की बिक्री, मनोरंजन कार्यक्रमों तथा होटलों में विलासिता प्रदान करने पर लगाए गए कर का संग्रहण तथा उद्ग्रहण है। व्यापार एवं कर विभाग (व्या.क.वि.) स्थानीय बिक्री के मूल्य वर्धित कर (मू.व.क.) तथा अंतर्राज्यीय बिक्री के लिए केंद्रीय बिक्री कर (कें.बि.क.) के संग्रहण के लिए उत्तरदायी था। उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग (उ.शु.म.वि.क.वि.) राज्य उत्पाद शुल्क, सिनेमा शो पर कर, मनोरंजन कार्यक्रमों, केबल तथा डीटीएच सेवाओं, होटलों, बैंकट हॉलों, जिम/स्पा मालिकों, बैट तथा घुड़दौड़ पर दावों के संग्रहण के लिए उत्तरदायी है। वर्ष 2014–15 के दौरान, इन दो विभागों ने सरकार द्वारा संग्रहित कुल राजस्व कर का 84 *प्रतिशत* अंशदान दिया, जिसमें वैट का अंश 69 *प्रतिशत* था तथा उ.शु.म.वि.क.वि का अंश 15 *प्रतिशत* था।

निर्धारकों द्वारा भुगतान न किए गए नियमित कर तथा अतिरिक्त मांग से राजस्व का बकाया बनता है। व्या.क.वि. में कोई भी मांग जिसका भुगतान नहीं किया गया है भूमि राजस्व बकाया (भू.रा.ब.) के रूप में दि.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत वसूलने योग्य होगा। उ.शु.म.वि.क.वि. में कोई भुगतान न की गई राशि दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम में भू.रा.ब. के रूप में वसूलने

योग्य होगी, जबकि दिल्ली मनोरंजन तथा बेटिंग कर (दि.म.बे.क.) अधिनियम तथा दिल्ली विलासिता कर (दि.वि.क.) अधिनियम भू.रा.ब. के रूप में लंबित देयों की वसूली के लिए प्रावधान करता है।

अप्रैल 2016 से अगस्त 2016 के दौरान व्यापार एवं कर विभाग (व्या.क.वि.) तथा उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग (उ.शु.म.वि.क.वि.) की लेखापरीक्षा, विभागों में बकाया के संग्रहण की प्रणाली की प्रभावपूर्णता को जांचने के लिए की गई। व्या.क.वि. में, 2012–13 से 2014–15 के दौरान निर्धारित मामलों में ₹ 9,612.18 करोड़ के निहितार्थ राजस्व तथा ₹ 10 लाख से अधिक के मानदंड का उपयोग करते हुए 10,990 मामलों का लेखापरीक्षा ने चयन किया। विलासिता कर ब्रांच में 2012–13 से 2014–15 के दौरान निर्धारित ₹ 36.86 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ ₹ 10,000 से अधिक की मांग वाले 734 मामलों का लेखापरीक्षा के लिए चयन किया जबकि उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा बेटिंग कर शाखा के मामले में सिस्टम में उपलब्ध समस्त डाटा तथा उपलब्ध कराये गये रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा की गई।

1.2.1.1 बकायों की प्रवृत्ति

उ.शु.म.वि.क.वि. ने 2012–13 से 2014–15 की अवधि के लिए राजस्व के बकायों का समेकित वर्षवार विवरण लेखापरीक्षा को प्रस्तुत नहीं किया गया था। यद्यपि, व्या.क.वि. में 2012–13 से 2013–14 तक बकायों की राशि में वृद्धि की प्रवृत्ति थी जबकि 2014–15 में यह आंशिक रूप से कम हुई। राजस्व के बकायों का वर्षवार विवरण नीचे **तालिका–1.2.1** में दिया गया है।

तालिका–1.2.1 : मू.व.क. तथा के.बि.क. के बकायों की प्रवृत्ति

(₹ करोड़ में)

वर्ष	प्रारंभिक शेष	वर्ष के दौरान वृद्धि	वर्ष के दौरान की गई वसूली/कमी	अंतशेष
2012-13	15,249.16	2,700.00	1,727.86	16,221.30
2013-14	16,221.30	6,605.08	1,029.28	21,797.10
2014-15	21,797.10	8,260.75	10,018.51	20,039.34

स्रोतः व्यापार एवं कर विभाग

लेखापरीक्षा प्राप्तियां

(i) मूल्य वर्धित कर (मू.व.क.)

1.2.2 दोषी व्यापारियों के विरूद्ध वसूली प्रक्रिया प्रारंभ न करना

दि.मू.व.क. अधिनियम का सेक्शन 43 (3) प्रावधान करता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत कर की कोई, राशि ब्याज या जुर्माना, संयुक्त धनराशि या अन्य कोई देय राशि जिसका भुगतान बकाया है, की वसूली भूमि राजस्व के बकाया के रूप में वसूलनीय होगी। इसके बाद, सेक्शन 43(6) प्रावधान करता है कि आयुक्त, व्यापारी द्वारा देय किसी कर, ब्याज

अथवा जुर्माना, संयुक्त धनराशि या उससे प्राप्त किसी राशि के लिए ब्यौरा देते हुए 'वसूली प्रमाण पत्र' दे सकता है। दि.मू.व.क. अधिनियम का सेक्शन 74(1) प्रावधान करता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत किये गये किसी निर्णय या आदेश या निर्धारण से यदि कोई व्यक्ति संतुष्ट नहीं है तो वे आयुक्त को ऐसे निर्णय या ऐसे किसी आदेश या निर्धारण के विरूद्ध आपत्ति दर्ज कर सकता है। सेक्शन 74(4) के अंतर्गत निर्णय या आदेश या निर्धारण करने की तिथि के दो महीने के भीतर आपत्ति दर्ज की जा सकती है, जैसा भी मामला हो। वार्ड–63 के 68 मांग मामलों जिनमें ₹ 17.66 करोड़ का राजस्व निहितार्थ था, की नमूना जांच से पता चला कि संबंधित व्यापारियों ने निर्धारित अवधि में न तो मांग राशि का भुगतान किया था तथा न ही निर्धारण आदेशों के विरूद्ध आपत्ति दर्ज की थी। इसलिए, चूककर्त्ता व्यापारियों के विरूद्ध विभाग द्वारा वसूली प्रक्रिया शुरू नहीं की गई थी, परिणामस्वरूप ₹ 17.66 करोड़ के राजस्व की प्राप्ति नहीं हुई।

1.2.3 डाटा प्रमाणिकता की कमी

दि.मू.व.क. अधिनियम का सेक्शन 36, दि.मू.व.क. नियमावली का नियम 31 तथा के.बि.क. (दिल्ली) नियमावली का नियम 10 सी, के.बि.क. तथा दि.मू.व.क. अधिनियम के अंतर्गत कर, ब्याज, जुर्माना या देय किसी अन्य राशि के भुगतान का प्रावधान करता है। व्यापारी के पास विकल्प है कि वह उत्थित मांग के प्रति भुगतान या तो चालानों के द्वारा करे या इलैक्ट्रानिक रूप में करे। कंप्यूटरीकृत दि.मू.व.क. सिस्टम व्यापारी द्वारा किये गए के.बि.क. मू.व.क. के नियमित भुगतान सहित इसके 'डीलर–प्रोफाइल रिपोर्ट' में दर्शाने के लिए डिजाइन किया गया है। मांग संग्रहण रजिस्टर (मां.सं.र.) में मांग राशि के प्रति भुगतान की गई राशि को दर्शाता है तथा सिस्टम का 'समन्वय' मॉड्यूल भी भुगतानों को दर्शाता है। लेखापरीक्षा ने निम्न पाया।

(i) 190 मामलों की नमूना जांच में पता चला कि 99 मामलों में मां.सं.र. रिपोर्ट तथा 'समन्वय' मॉड्यूल में ₹ 36.06 करोड़ व्यापारियों द्वारा किये गये भुगतान के रूप में दर्शाये गए थे जबकि विशिष्ट वर्ष के लिए ये निर्धारितियों की 'डीलर प्रोफाइल' में नहीं दर्शाये गये थे। इसके बाद, समायोजन मॉड्यूल की संवीक्षा से यह पता चलता है कि व्यापारी के भुगतान की तिथि, मांग नोटिस की तिथि से पूर्व दिनांकित थी, जो संभव नहीं है।

(ii) दि.मू.व.क. सिस्टम में वापसी समायोजन से संबंधित रिकॉर्डों की संवीक्षा से पता चला कि 86 मामलों में 2012–13 से 2014–15 में ₹ 64.99 करोड़ की मांग उत्थित की गई थी तथा व्यापारियों द्वारा दावित वापसियों के प्रति समायोजित की गई तथा सिस्टम की मां.सं.र. रिपोर्ट में तद्नुरूप दर्शाई गई थी। यद्यपि लेखापरीक्षा सत्यापन से पता चला कि 86 मामलों में से 54 मामलों में वापसियों के प्रति ₹ 57.98 करोड़ का समायोजन समान राशि की वापसियों के प्रति किया गया था जबकि वैयक्तिक 'डीलर–प्रोफाइल' के अनुसार किसी भी डीलर को वापसी उपलब्ध नहीं थी।

इस प्रकार, ₹ 94.04 करोड़ के राजस्व निहितार्थ के साथ डाटा प्रमाणिकता की कमी साथ ही अपर्याप्त निगरानी, क्रॉस चेकिंग तथा बकाया मामलों में विवरणों के समायोजन में संभावित राजस्व की हानि हो सकती हैं।

1.2.4 कर देयताओं को सुनिश्चित किए बिना निरस्त किए गए व्यापारियों को अविवेकपूर्ण रूप से वापसियां जारी करना

दि.मू.व.क. अधिनियम, 2004 का सेक्शन 38(2) प्रावधान करता है कि किसी भी प्रकार की वापसी करने से पूर्व, आयुक्त, इस अधिनियम, या के.बि.क. अधिनियम, 1956 के अंतर्गत कोई अन्य देय राशि की वसूली को ऐसी अधिक राशि से समायोजन करेगा।

चयनित मामलों की नमूना जांच से पता चला कि 39 मामलों में ₹ 80.53 लाख की वापसी की अनुमति दी गई (अप्रैल 2011 से अप्रैल 2014) यद्यपि व्यापारियों का पंजीकरण नवम्बर 2009 से अप्रैल 2013 के मध्य निरस्त कर दिया गया था। इसके बाद वर्ष 2014–15 के दौरान इन व्यापारियों का निर्धारण किया गया तथा ₹ 1.89 करोड़ की कुल मांग उत्थित की जो अभी तक अदेय थी (अक्तूबर 2016)। लेखापरीक्षा ने पाया कि सभी देयताओं का भुगतान किया जा चुका है यह सुनिश्चित किए बिना वापसी की अनुमति दे दी गई। इसके परिणामस्वरूप ₹ 1.89 करोड़ की राजस्व हानि हुई।

1.2.5 मांगों के विलंबित भुगतान पर ब्याज की गैर–वसूली

दि.मू.व.क. अधिनियम का सेक्शन 42 (2) यह प्रावधान करता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत जब एक व्यक्ति कोई कर, जुर्माना या किसी अन्य देय राशि का भुगतान करने में चूक जाता है, वह ऐसे चूक की तिथि से भुगतान की तिथि तक 15 *प्रतिशत* की वार्षिक दर पर साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

दि.मू.व.क. सिस्टम के 'भुगतान मॉड्यूल' का विश्लेषण दर्शाता है कि तीन[2] मांग मामलों में व्यापारियों ने देय तिथि के समाप्त हो जाने के बाद 35 दिन से तीन वर्षों से अधिक विलंब के साथ राशि जमा की तथा विभाग ने इस तरह के विलंब के कारण ₹ 73.26 लाख के ब्याज को नहीं लगाया।

इंगित करने पर विभाग ने उत्तर दिया (सितम्बर 2016) कि एक मामले में ₹ 0.92 लाख की वसूली कर ली गई है।

1.2.6 वसूली शाखा का कम उपयोग

व्या.क.वि. ने अपने दिनांक 29 अगस्त 2007 के परिपत्र में वसूली शाखा (व.शा.) को निम्न कार्यों का आवंटन किया: (i) निर्धारण वर्ष 1992–93 से पूर्व के वसूली मामलों से निपटना (ii) प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में सभी वार्डों के लक्ष्यों को निर्धारित करना। (iii) वॉर्ड वार साप्ताहिक तथा मासिक वसूली रिपोर्ट संकलित करना (iv) विभाग के सभी जोन से सूचना प्राप्त करने के बाद विभाग के देयों के संबंध में विभिन्न न्यायालयों द्वारा नियुक्त परिसमापकों को सूचना देना तथा (v) वसूली शाखा से संबंधित न्यायालय मामलों पर विचार करना।

[2] **(i)** टिन–07310197454, **(ii)** टिन–07550236704, **(iii)** टिन–07570184216

लेखापरीक्षा ने निम्न पाया–

(i) वसूली शाखा ने न तो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में वार्डों के लिए लक्ष्य निर्धारित किए थे और न ही वार्डवार साप्ताहिक तथा मासिक वसूली रिपोर्ट का संकलन किया था। इसके बाद जिन व्यापारियों के प्रति मांग लंबित है तथा ऐसे मामले जहां व्यापारियों ने निर्धारण प्राधिकारियों द्वारा पारित निर्धारण आदेशों के विरूद्ध आपत्ति दर्ज की थी इत्यादि के डाटा बेस तक वसूली शाखा की पंहुच नहीं थी; तथा

(ii) वसूली शाखा केवल उन व्यापारियों जिनकी वैयक्तिक मांग ₹ 10 करोड़ से अधिक है का संचालन कर रही है, जो कि 31 जनवरी 2015 तक कुल 3.19 लाख व्यापारियों में से केवल 160 व्यापारियों से संबंधित है। ₹ 10 करोड़ से कम राशि की मांग के मामलों के संबंध में वार्ड अधिकारी तथा जोनल प्रभारी चूककर्त्ता व्यापारियों के प्रति कार्रवाई करने के लिए सक्षम है।

इस प्रकार, वसूली शाखा पूर्ण रूप से कार्य नहीं कर रही थी जिसके लिए यह स्थापित की गई थी। इसके परिणामस्वरूप लंबित मांग मामलों की अप्रभावी मॉनिटरिंग हुई तथा चूककर्त्ता व्यापारियों के प्रति वसूली प्रक्रिया प्रारंभ नहीं की गई।

(ii) उत्पाद शुल्क, मनोरंजन तथा विलासिता कर विभाग

उत्पाद शुल्क आपूर्ति श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली (उ.शु.आ.श्रृ.सू.प्र.प्र.) दिसम्बर 2013 में उत्पाद शुल्क, विलासिता तथा मनोरंजन कर संग्रहण तथा समाशोधन, उत्पाद शुल्क, विलासिता तथा मनोरंजन कर के रिटर्न की प्रस्तुति के साथ ही पंजीकरण एवं शिकायतों की ट्रैकिंग के लिए अंतर्निहित सुविधाओं और राजस्व संग्रहण प्रक्रिया को सरल और कारगर करने के लिए प्रारंभ की गई थी। वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 के लिए पूर्ण डाटाबेस लेखापरीक्षा को उपलब्ध नहीं कराया गया था, यद्यपि लेखापरीक्षा को उपलब्ध कराए गए वर्ष 2014–15 के डाटाबेस के विश्लेषण तथा रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा संवीक्षा निम्न दर्शाती है:

उत्पाद शुल्क शाखा

1.2.7 चूककर्त्ताओं से बकाया देयों की गैर वसूली

दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम, 2009 का सेक्शन 29(1) प्रावधान करता है कि इस अधिनियम के अंतर्गत सभी उत्पाद शुल्क राजस्व सरकार को भुगतान योग्य है, उस व्यक्ति से या उसके कानूनी उत्तराधिकारी या उसके जमानती या उसके एजेंट से, जो उसके भुगतान के लिए उत्तरदायी है, से भूमि राजस्व के बकाया (भू.रा.ब.) के रूप में वसूल किए जा सकते है। इसके बाद, लाइसेंस प्रदान करने के नियम तथा शर्तों के किसी भी उल्लंघन पर जुर्माना लग सकता है।

लेखापरीक्षा ने पाया कि 2014–15 के दौरान 38 मामलों में जारी जुर्माना तथा विविध भुगतान आदेशों में लाइसेंसधारियों ने ₹ 12.91 लाख के बकाया देयों का भुगतान नहीं किया था।

यद्यपि विभाग ने एक वर्ष से अधिक का समय बीत जाने के बाद भी दिल्ली उत्पाद शुल्क अधिनियम के सेक्शन 29 के अंतर्गत इसकी वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की थी। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि लंबित भुगतानों के लिए संबंधित लाइसेंसधारियों को वसूली नोटिस जारी कर दिए गए हैं।

मनोरंजन तथा बैटिंग कर शाखा

1.2.8 रिटर्न फाईल न करने के लिए जुर्माने का गैर–अधिरोपण

दिल्ली मनोरंजन तथा बैटिंग कर अधिनियम, 1996 (दि.म.बै.क. अधिनियम) प्रावधान करता है कि मनोरंजन संचालकों के मालिकों को समय सीमा के अनुसार अपने देयों का भुगतान तथा उनकी रिटर्न प्रस्तुत करनी चाहिए। यह कर/रिटर्न होटल/रेस्टोरेंट, केबल/डायरेक्ट टू होम (डीटीएच) कनेक्शन, मल्टी सर्विस ऑपरेटरों (म.स.ऑ.)/डीटीएच ऑपरेटरों, केबल टीवी ऑपरेटरों द्वारा कर/रिटर्न माहवार; तथा सिनेमा हॉलों; विडियों गेम पार्लरों तथा एम्यूजमेंट पार्कों/फन पार्कों द्वारा साप्ताहिक प्रस्तुत किया जाना अपेक्षित है। दि.म.बै.क. अधिनियम का सेक्शन 33 प्रावधान करता है कि इस अधिनियम के प्रावधानों के पालन में किसी भी विफलता के लिए जुर्माने का आरोपण ₹ दो हजार से अधिक नहीं होगा।

लेखापरीक्षा ने पाया कि वर्ष 2014–15 की अवधि के दौरान मनोरंजन कर के 751 निर्धारिती[3] थे जो कि विभिन्न अवधियों के लिए रिटर्न फाईल करने में दोषी पाये गये थे। यद्यपि, विभाग ने अधिनियम में जैसा कि निर्धारित है, जुर्माना लगाने की कोई कार्रवाई नहीं की। दि.म.बै.क. अधिनियम के सेक्शन 33 के अंतर्गत रिटर्न फाईल न करने पर अधिनियम में निर्धारित अधिकतम दर पर जुर्माने हेतु ₹ 1.75 करोड़ की राशि भी देय थी।

विलासिता कर शाखा

1.2.9 रिटर्न फाइल करने तथा कर भुगतान करने में विफल निर्धारितियों का गैर–निर्धारण

दिल्ली विलासिता कर अधिनियम, 1996 (दि.वि.क. अधिनियम) का सेक्शन 12(1) प्रावधान करता है कि हर पंजीकृत मालिक निर्धारित अवधि के लिए, निर्धारित तिथियों तक तथा निर्धारित प्राधिकारी को रिटर्न प्रस्तुत करेगा; बशर्ते कि आयुक्त ऐसे निबंधन तथा शर्तों के अधीन जैसा कि निर्धारित हो ऐसे किसी मालिक को, ऐसी रिटर्नों के प्रस्तुत करने में छूट या ऐसे किसी मालिक को अनुमत करेः (क) उन्हें ऐसी विभिन्न अवधि के लिए प्रस्तुत करने अथवा (ख) ऐसी किसी अवधि के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में मालिक के व्यापार के किन्हीं स्थानों में से एक या संबंधित सभी स्थानों या ऐसी विभिन्न अवधियों के लिए, ऐसे प्राधिकारी जैसा वह निर्देश करें, को एक समेकित रिटर्न प्रस्तुत करना। सेक्शन 13(1) प्रावधान करता है किसी मालिक से देय कर की राशि के भुगतान के लिए, प्रत्येक वर्ष के लिए पृथक रूप से निर्धारण होगा, जिसके लिए वह उत्तरदायी है; उद्ग्रहणीय है, बशर्ते कि आयुक्त, ऐसी शर्तों के अधीन जैसा निर्धारित है, वर्ष के एक भाग के दौरान किसी मालिक से देय कर का निर्धारण करेगा।

[3] 604 होटल/रेस्टोरेंट/केबल/डीटीएच कनेक्शन सहित, 21 एमएसओ/डीटीएच ऑपरेटर, 58 केबल टीवी ऑपरेटर, 45 सिनेमा हॉल, 11 एम्यूजमेंट पार्क/फन पार्क तथा 12 विडियो गेम पार्लर।

लेखापरीक्षा ने निम्न पायाः

(क) 2014–15 के दौरान विलासिता कर के 606 निर्धारिती थे जिन्होंने कर भुगतान/रिटर्न फाइल नहीं किये थे। इसके बाद, संवीक्षा दर्शाती है कि 539 निर्धारिती थे जो कि अपने रिटर्न फाइल नहीं कर पाए, जबकि 67 निर्धारिती थे जो कि पूरा कर भुगतान करने में चूके थे। यद्यपि विभाग ने दि.वि.क. अधिनियम के सेक्शन 16 के अंतर्गत जुर्माना नहीं लगाया जो कि देय कर के बराबर होता है। रिटर्न तथा देय कर के डाटा की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा इन चूककर्त्ताओं के प्रति कर देयता तथा अधिरोपित किये जाने वाले जुर्माने की गणना नहीं कर सका। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि वे उन चूककर्त्ताओं को नोटिस भेज रहे है जो निर्धारित समयावधि के अंदर रिटर्न/कर फाईल करने में असफल हुए जिससे कि वे दस्तावेजों को प्रस्तुत कर सकें जिनके आधार पर निर्धारण किया जा सके।

(ख) मांग संग्रहण रजिस्टर (मा.सं.र.) के अनुसार 244 मामलों में एक से चार वर्षों के बीत जाने के बाद भी ₹ 8.42 करोड़ की मांग बकाया थी जबकि यह मांग नोटिस में निर्दिष्ट तिथि के भीतर जो कि सामान्यतः 30 दिन है, जमा की जानी थी। यद्यपि दि.वि.क. अधिनियम, 1996 के सेक्शन 18(5)/सेक्शन 21 के अंतर्गत उसकी वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि चूककर्त्ताओं के प्रति वसूली प्रक्रिया प्रारंभ की गई है तथा 85 मामलों में वसूली प्रमाणपत्र जारी किए गए हैं। शेष मामलों में वसूली प्रमाणपत्र जारी करने की प्रक्रिया चल रही है।

(ग) दि.वि.क. अधिनियम का सेक्शन 16(2) प्रावधान करता है कि एक व्यक्ति यदि निर्दिष्ट समय के भीतर भुगतान करने में असफल होता है तो वह प्रत्येक माह के लिए, कर के दो *प्रतिशत* की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने का उत्तरदायी होता है। 191 मामलों में, निर्धारितियों ने कर की मांग को एक दिन से तीन वर्षों के ऊपर की देरी से जमा किया था। यद्यपि विभाग ने जमा करने में देरी के लिए कोई ब्याज का उद्ग्रहण नहीं किया जिसके परिणामस्वरूप ₹ 6.47 लाख के ब्याज का गैर उद्ग्रहण हुआ।

(घ) नौ मामलों में, निर्धारण (अप्रैल 2012 तथा मार्च 2015 के बीच) ₹ 98.90 लाख की अतिरिक्त मांग निर्मित करते हुए पूर्ण हुआ जिसके प्रति निर्धारिती ने केवल ₹ 43.31 लाख का भुगतान किया। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 55.59 लाख की कम प्राप्ति हुई। इसके अतिरिक्त ब्याज भी उद्ग्रहणीय था। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि वसूली प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई तथा वसूली प्रमाणपत्र जारी किए जा रहे हैं।

(ङ) दि.वि.क. अधिनियम के सेक्शन 13(5) के अनुसार, सभी प्रतिप्रेषण मामले अपीलीय प्राधिकारी के आदेश की प्राप्ति की तिथि से निर्धारण प्राधिकारी (नि.प्रा.) द्वारा एक वर्ष के भीतर पुनर्निर्धारित होने चाहिए। लेखापरीक्षा ने निम्न पाया–

(i) ₹ 22.08 करोड़ की राशि शामिल करते हुए 123 मामलों को अप्रैल 2011 से अगस्त 2015 के दौरान पुनः निर्धारण के लिए नि.प्रा. को वापिस प्रतिप्रेषित किया गया था। इनमें से ₹ 3.04 करोड़ की राशि के 32 मामले उपलब्ध नहीं थे। प्रतिप्रेषण मामलों से

संबंधित फाइलों की अनुपस्थिति में लेखापरीक्षा पुनर्निर्धारण की स्थिति का निर्धारण नहीं कर सकी। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि ऐसे मामले जो पुनर्निर्धारण के लिए अपीलीय प्राधिकरण द्वारा प्रतिप्रेषित किए गए थे उनमें से ₹ 2.62 लाख के पांच मामलों की फाइलों का पता लगाया गया तथा पाया कि पुनर्निर्धारण आदेश जारी किए जा चुके हैं। अन्य फाइलों का पता लगाने के लिए भी प्रयास किए जा रहे हैं।

(ii) ₹ 47.64 लाख के 35 मामलों में, फरवरी 2012 से फरवरी 2016 के बीच पुनर्निर्धारण के आधार पर अपीलीय प्राधिकरण द्वारा प्रतिप्रेषित करने के बाद, मांग पत्र जारी किए गए थे। निर्धारितियों को अभी मांग की राशि का भुगतान करना है यद्यपि मांग नोटिस में निर्धारित तिथि बीत चुकी थी तथा दि.वि.क. अधिनियम के सेक्शन 18(5) के अंतर्गत जैसा अपेक्षित है, मामले भूमि राजस्व के रूप में वसूली के लिए आयुक्त को नहीं भेजे गए थे। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि वसूली प्रक्रिया प्रारंभ की जा चुकी है तथा वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिए गए है।

(iii) अपीलीय प्राधिकारी ने अप्रैल 2013 से सितम्बर 2015 के दौरान 18 मामलों में निर्धारिती द्वारा दर्ज की गई अपील को अस्वीकृत कर दिया तथा नि.प्र. द्वारा निर्मित ₹ 74.36 लाख की मांग को कायम रखा। यद्यपि छः मामलों के संबंध में केवल ₹ 6.97 लाख का भुगतान प्राप्त हुआ तथा शेष 12 मामलों के संबंध में ₹ 67.39 लाख का विलासिता कर बकाया है। विभाग द्वारा मामलों की भूमि राजस्व के रूप में वसूली के लिए कोई कार्रवाई नहीं की गई। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि वसूली प्रक्रिया प्रारंभ कर दी गई है तथा वसूली प्रमाणपत्र जारी कर दिये गये हैं।

1.2.10 बकायों के मॉनीटरिंग की अप्रभावपूर्ण प्रणाली

(क) बकायों की निगरानी के लिए रिकॉर्डों का गैर–अनुरक्षण

बकायों की मॉनीटरिंग के लिए, केन्द्रीयकृत अद्यतन डाटा बेस, वर्ष के प्रारंभ में बकाया राशि का निर्धारितीवार ब्यौरा, वर्ष के दौरान जमा, वसूली तथा वर्ष के अंत में बकाया राशि का अनुरक्षण अपेक्षित है। लेखापरीक्षा ने पाया कि राजस्व के बकायों की स्थिति की निगरानी के लिए बकायों के एक समेकित डाटाबेस के अनुरक्षण की कोई प्रणाली नहीं है। आयुक्त, उ.शु.म.वि.क.वि. ने बताया (मई 2016) कि दिसम्बर 2013 से एक नया कम्प्यूटरीकृत सिस्टम प्रारंभ किया गया है तथा पुराने सिस्टम से राजस्व के बकायों से संबंधित डाटा स्थानांतरित किया गया है, लेकिन अभी तक नए सिस्टम में यह पूर्ण रूप से एकीकृत नहीं किया जा सका है।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि विलासिता कर शाखा में किसी निर्धारिती की मांग, संग्रहण तथा राजस्व की निगरानी के लिए चालू वित्तीय वर्ष से एक सिस्टम को विकसित किया गया है तथा मनोरंजन कर शाखा के संबंध में अप्रैल 2011 से मांग तथा संग्रहण के संबंध में उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर एक रजिस्टर तैयार किया गया है।

(ख) मांग तथा संग्रहण रजिस्टर का अनुरक्षण

लेखापरीक्षा ने पाया कि उत्पाद शुल्क मनोरंजन तथा बेटिंग कर शाखाओं ने चूककर्त्ताओं से बकाया राशि की निगरानी के लिए मां.सं.र. का अनुरक्षण नहीं किया। विलासिता कर शाखा में वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 के मां.सं.र. में 17 मामलों में शामिल ₹ 114.97 लाख के लिए मांग की प्रविष्टि नहीं की गई जबकि 2014–15 के मां.सं.र. में लगभग सभी मामलों में निर्धारण आदेश देने की तिथि, भुगतान की देय तिथि, किए गए भुगतान, भुगतान की वास्तविक तिथि की प्रविष्टि नहीं पाई गई थी। इसकी अनुपस्थिति में, लेखापरीक्षा निर्धारितियों से कुल देय वसूलनीय राशि को सुनिश्चित नहीं कर सका।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि विलासिता कर शाखा के संबंध में निर्धारितियों के मांगों तथा भुगतानों को मॉनीटर करने के लिए मां.सं.र. का ऑनलाइन सिस्टम 01 अप्रैल 2016 से लागू किया गया तथा पिछले वर्षों (2011–12 से 2015–16) के मां.सं.र. के डाटाबेस को अद्यतन करना प्रारंभ कर दिया गया। मनोरंजन कर के संबंध में यह बताया गया कि उपलब्ध रिकॉर्डों के आधार पर मांग तथा संग्रहण रजिस्टर बनाया गया है। इसके बाद, रेस्टोरेंट शाखा (राज्य उत्पाद शुल्क) ने सूचना दी (अक्तूबर 2016) कि यह भविष्य में लाइसेंसधारियों पर लगाए गए जुर्माना/विविध भुगतान को और अधिक कुशलता से मॉनीटर करने के लिए कार्य कर रहा है।

1.2.11 उत्पाद आपूर्ति श्रृंखला सूचना प्रबंधन प्रणाली (उ.आ.श्रृ.सू.प्र.प्र.)

उ.शु.म.वि.क.वि. ने राजस्व संग्रहण की पूर्ण प्रक्रिया के डीजीटाइजेशन तथा व्यवस्थित करने के उद्देश्य से कम्प्यूटरीकृत उ.आ.श्रृ.सू.प्र.प्र. का प्रारंभ किया। सिस्टम का प्रयोजन निर्धारण करने में निर्धारितियों से वसूलनीय देयों तथा राजस्व संग्रहण पर नजर रखने में विभाग की सहायता करना था। यद्यपि उ.आ.श्रृ.सू.प्र.प्र. के डाटाबेस के विश्लेषण में सिस्टम की कमियां पाई गई जिनका विवरण नीचे है:

(क) नियमित निर्धारण के साथ–साथ चूककर्त्ता लाइसेंसधारियों का निर्धारण करने के लिए उ.आ.श्रृ.सू.प्र.प्र. के पास एक मॉडयूल है। विलासिता कर तथा मनोरंजन एवं बेटिंग कर शाखाओं ने इस मॉडयूल का उपयोग नहीं किया तथा निर्धारण कार्य को मैनुअल सिस्टम के आधार पर ही जारी रखा। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि विलासिता कर के संबंध में निर्धारण माड्यूल अब कार्यशील है तथा चालू वित्तीय वर्ष में निर्धारण ऑनलाइन निर्धारण मॉड्यूल द्वारा ही किया जा रहा है।

(ख) विलासिता कर के संबंध में मां.सं.र. का डाटाबेस विश्लेषण दर्शाता है कि एप्लीकेशन में डाटा की सत्यनिष्ठा की सुनिश्चितता के लिए अपेक्षित इनपुट कंट्रोल का अभाव था जो कि इस प्रकार है:

- 2012–13 की अवधि के लिए 252 निर्धारण मामलों में से 56 मामलों में, जहां देय कर/ब्याज/जुर्माना ₹ 10,000 से अधिक था, निर्धारितियों द्वारा निर्धारण के प्रति किया गया भुगतान विशेष रूप से बनाये गए ''विलासिता कर निर्धारण खाता'' में नहीं दर्शाया गया था;

- वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 के क्रमशः 237 तथा 36 मामलों के डाटाबेस में निर्धारण आदेश तथा निर्धारितियों को देने तथा उनकी तिथि को दर्शाया नहीं था;
- वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 से संबंधित क्रमशः 507 तथा 397 मामलों में कर की राशि, जुर्माना तथा ब्याज डाटा में दिखाये गये कुल देयों के अनुरूप नहीं है;
- वर्ष 2012–13 तथा 2013–14 से संबंधित क्रमशः 336 तथा 296 मामलों में कुल देय कर तथा वास्तविक कर भुगतान के बीच अंतर डाटा में दर्शाई गई देय राशि के अनुरूप नहीं है; तथा
- कई मामलों में, विभिन्न भुगतान लेन–देनों में विभिन्न तिथियों के प्रति उसी कर अवधि को दुबारा दिखाया गया था।

विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि उ.आ.श्रृ.सू.प्र.प्र. के विलासिता कर मॉड्यूल को सरल और कारगर करने का मामला लेखापरीक्षा द्वारा उठाये गए मुद्दों पर मैसर्स टाटा कंसलटैंसी सर्विसेज (टा.कं.स.) के साथ उठाया जा रहा है।

(ग) मनोरंजन तथा बैटिंग कर शाखा के संबंध में वर्ष 2012–13 से 2014–15 की अवधि का डाटाबेस दर्शाता है कि अधिकतर मामलों में वह अवधि जिसमें निर्धारितियों ने भुगतान किया, वह उल्लेखित नहीं थी जिसके कारण किए गए भुगतान की वास्तविकता को लेखापरीक्षा में सत्यापित नहीं किया जा सका। विभाग ने बताया (अक्तूबर 2016) कि सिस्टम उचित रूप से डाटा को दर्शा नहीं रहा है तथा संबंधित लाइसेंसधारियों से अपेक्षित सूचना प्राप्त करने के प्रयास किए जा रहे हैं तथा बेमेल/भुगतान न करने/भुगतान में देरी के मामले में ब्याज सहित देय कर तथा जुर्माने को वसूलने के लिए कार्रवाई की जाएगी।

(घ) उ.शु.म.वि.क.वि. तथा टीसीएस के मध्य उ.आ.श्रृ.सू.प्र.प्र. के मास्टर सर्विस करार की अनुसूची–III के अनुसार, उसमें परियोजना कार्यान्वयन फेज तथा उसके बाद परिचालन प्रबंधन फेज के दौरान परियोजना निदेशक द्वारा छमाही लेखापरीक्षाओं के लिए प्रावधान है। यद्यपि, लेखापरीक्षा ने पाया कि इस प्रकार की कोई लेखापरीक्षा नहीं हुई थी। विभाग ने बताया (अगस्त 2016) कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट पूर्ण नहीं की जा सकी क्योंकि नेशनल इंस्टीच्यूट फॉर स्मार्ट गवर्नमेंट–प्रोजेक्ट मॉनीटरिंग यूनिट टीम ने, उसका कार्यकाल पूरा होने के कारण विभाग को छोड़ दिया, यद्यपि विभाग द्वारा उ.आ.श्रृ.सू.प्र.प्र. परियोजना की लेखापरीक्षा के लिए उचित कार्रवाई की जा रही है। यह सुनिश्चित किया जाता है कि लेखापरीक्षा रिपोर्ट अपेक्षित लेखापरीक्षा प्रक्रिया के पूर्ण होने के बाद प्रस्तुत की जायेगी।

1.2.12 निष्कर्ष

इस प्रकार, भू–राजस्व के बकाया के रूप में सरकारी राजस्व की वसूली के लिए अधिनियमों में प्रावधानों के गैर प्रवर्तन के परिणामस्वरूप 2012–13 के प्रारंभ में बकाया ₹ 15,249.16 करोड़ से बढ़कर वर्ष 2014–15 के अंत में ₹ 20,039.34 करोड़ हो गया। व्या.क.वि. में भुगतान डाटा तथा वापसियों के सत्यापन की प्रणाली के अभाव के साथ–साथ प्रणाली के डिजाइन में कमियां, मांगों के समायोजन में गलत चित्रण का कारण बनी, जो कि अभी बकाया हैं। व्या.क.वि. ने निरस्त व्यापारियों को बिना उनकी कर देयताओं को निर्धारित किये वापसियों

की अनुमति दी। पंजीकरण को निरस्त करना तथा इन व्यापारियों के प्रति वापसी प्रक्रिया को प्रारंभ न करना, बकाया देयों की प्राप्ति की संभावना को और कम करता है। वसूली शाखा की कार्यप्रणाली कई बार अवरूद्ध हुई क्योंकि इसके पास सभी बकाया मांग मामलों के पूर्ण डाटाबेस का एक्सेस नहीं था। उ.शु.म.वि.क.वि. में मनोरंजन तथा विलासिता कर शाखा में कर देयताओं को निश्चित करने के लिए चूककर्त्ता व्यापारियों का निर्धारण नहीं किया। उत्पाद शुल्क तथा मनोरंजन कर शाखा द्वारा मांग तथा संग्रहण रजिस्टरों को नहीं बनाया गया था जबकि विलासिता कर शाखा में यह उचित रूप से नहीं बनाया गया जिससे बकाया देयों की मॉनीटरिंग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। उ.आ.श्रृ.सू.प्र.प्र. में सिस्टम में कमियां थी जिसके परिणामस्वरूप प्रभावी कर प्रशासन के वांछित स्तर की उपलब्धि नहीं हुई।

1.3 कर की रियायती दर की अनियमित अनुमति

दो निर्धारितियों द्वारा 'सी' फार्मों पर कर की रियायती दर की अनियमित अनुमति के फलस्वरूप ₹ 0.58 करोड़ के कर का कम उद्ग्रहण हुआ। इसके अतिरिक्त ₹ 0.39 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 0.57 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

के.बि.क. अधिनियम, 1956 के सेक्शन 8(1) के अनुसार, प्रत्येक व्यापारी जो अंतर्राज्यीय व्यापार अथवा वाणिज्य के दौरान माल एक पंजीकृत व्यापारी को बेचता है, वह उसकी टर्नओवर के दो *प्रतिशत* की दर से या उस राज्य के बिक्री कर नियम के अंतर्गत उस राज्य के भीतर ऐसे माल के क्रय या विक्रय पर उपयुक्त दर जो भी कम हो, पर कर भुगतान का उत्तरदायी होगा तथा के.बि.क. अधिनियम, 1956 का सेक्शन 8(4) यह प्रावधान करता है कि व्यापारी निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित प्रारूप में निर्धारित विवरण शामिल करते हुए जिसको माल विक्रय किया गया है को पंजीकृत व्यापारी द्वारा हस्ताक्षरित तथा विधिवत भरे हुए 'सी' फॉर्म में एक घोषणा पत्र प्रस्तुत करे। इसके बाद, दि.मू.व.क. अधिनियम, 2004 का सेक्शन 86(15) प्रावधान करता है कि व्यापारी एक लाख की राशि या कम कर की राशि, यदि कोई है, जो भी अधिक हो जुर्माने के रूप में भुगतान का उत्तरदायी होगा। दि.मू.व.क. अधिनियम के सेक्शन 42(2) के अंतर्गत किसी राशि के भुगतान में चूक के लिए ब्याज भी भुगतान योग्य होगा।

(i) वार्ड–93 के रिकॉर्डों की लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि एक व्यापारी[4] का वर्ष 2011–12 के लिए निर्धारण ₹ 2.90 करोड़ की टर्नओवर पर सितम्बर 2013 में पूर्ण हुआ। इसमें 'सी' फार्मों के प्रति ₹ 2.66 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री भी शामिल थी। लेखापरीक्षा संवीक्षा दर्शाती है कि दो 'सी' फार्मों पर ₹ 1.46 करोड़ की रिआयत बिक्री की अनुमति दी गई जो कि विक्रय व्यापारी के नाम पर नहीं थी। जिसके परिणामस्वरूप ₹ 4.39 लाख के कर प्रभाव को शामिल करते हुए ₹ 1.46 करोड़ की रिआयती बिक्री की अनियमित अनुमति दी। इसके अतिरिक्त ₹ 2.69 लाख के ब्याज तथा ₹ 4.39 लाख का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

[4]टिन–07660103996

(ii) वार्ड–201 से संबंधित निर्धारण रिकॉर्डों की संवीक्षा दर्शाती है कि एक व्यापारी[5] ने निर्धारण वर्ष 2011–12 के लिए ₹ 43.19 करोड़ की सकल टर्नओवर ₹ 20.26 करोड़ के 'सी' फार्मों को शामिल करके अंतर्राज्यीय बिक्री की घोषणा करते हुए रिटर्न फाईल की। ₹ 20.26 करोड़ में से मणिपुर तथा नागालैण्ड राज्य के पंजीकृत व्यापारियों से प्राप्त छः 'सी' फॉर्मों के प्रति ₹ 5.18 करोड़ की अंतर्राज्यीय बिक्री पर कर की रिआयती दर पर दावा किया था तथा उसे अनुमति दे दी गई (अप्रैल 2014)। इन फॉर्मों की जारी किये जाने वाले राज्यों से सत्यापन किया गया तथा यह पाया गया कि निर्धारिती ने चार 'सी' फॉर्मों में ₹ 2.44 करोड़ (₹ 2.54 करोड़ – ₹ 0.10 करोड़) की अधिक अंन्तर्राज्यीय बिक्री का दावा किया था तथा ₹ 2.64 करोड़ की बिक्री शामिल करते हुए शेष दो फॉर्म क्रय व्यापारी को जारी नहीं किये गये थे। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.53 करोड़ की रिआयती दर की अनियमित अनुमति दी गई। इसके अतिरिक्त, ₹ 0.36 करोड़ का ब्याज तथा ₹ 0.53 करोड़ का जुर्माना भी उद्ग्रहणीय था।

इंगित करने पर विभाग ने सितम्बर 2016/अक्तूबर 2016 में बताया कि (i) पुनर्निर्धारण की कार्रवाई की प्रक्रिया जारी है तथा (ii) वर्ष 2011–12 में कर अपवंचन के संबंध में व्यापारी का निर्धारण पूर्ण हो चुका है तथा व्यापारी के प्रति ₹ 0.93 करोड़ की मांग ₹ 40.03 लाख का ब्याज तथा ₹ 0.53 करोड़ का जुर्माना शामिल करते हुए, उद्धृत की गई।

मामला सरकार को जुलाई 2016 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित है (नवम्बर 2016)।

1.4 मांग की गैर–वसूली तथा परिणामस्वरूप ब्याज की हानि

विभाग ऐसे व्यापारियों से, जिनका पंजीकरण रद्द हो चुका था, ₹ 2.84 करोड़ की मांग की वसूली में असफल रहा। इसके परिणामस्वरूप ₹ 0.38 करोड़ के ब्याज की भी हानि हुई।

दि.मू.व.क. अधिनियम 2004 का सेक्शन 22(9) यह बताता है कि पंजीकरण को रद्द करने से या जो निर्धारित है रद्द करने की ऐसे तिथि पर किसी व्यक्ति की देयता को किसी अवधि के लिए देय कर के भुगतान करने तथा भुगतान न करने को प्रभावित नहीं करेगा या उसके बावजूद कि उस पर वह इस अधिनियम के अंतर्गत कर भुगतान का दायित्व नहीं होगा।

वर्ष 2010–11 से 2013–14 के लिए दो वार्डों[6] के रिकार्डों की संवीक्षा दर्शाती है कि दि.मू.व.क. अधिनियम 2004 के सेक्शन 32 तथा 33 तथा के.बि.क. अधिनियम के सेक्शन 9(2)[7] के अंतर्गत, फरवरी 2013 तथा जून 2015 के बीच तीन व्यापारियों का निर्धारण किया गया तथा ₹ 2.84 करोड़ (कर ₹ 0.81 करोड़, ब्याज ₹ 0.32 करोड़ तथा जुर्माना ₹ 1.71 करोड़) की अतिरिक्त मांग उद्धृत की गई यद्यपि विभाग ने उनके पंजीकरण को

[5]टिन–07280345153

[6]वार्डः 4 तथा 67

[7]के.बि.क. अधिनियम के सेक्शन 9(2) के अंतर्गत जुर्माने के निर्धारण का नोटिस तथा दि.मू.व.क. अधिनियम, 2004 के सेक्शन 86(9) के अंतर्गत जुर्माना भुगतान की देयता

रद्द कर दिया था।

इसके अतिरिक्त यह पाया गया कि 15 महीने से चार साल का समय बीत जाने के बाद मांग अभी भी लंबित है जिसके परिणामस्वरूप ₹ 0.38 करोड़ के ब्याज की भी हानि हुई।

यह इंगित करने पर (जून से अगस्त 2016), विभाग ने अपने उत्तर में बताया कि उपरोक्त व्यापारियों के प्रति वसूली प्रक्रिया शुरू कर दी गई है तथा नोटिस जारी किए गए है।

मामला सरकार को अगस्त 2016 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

राजस्व विभाग

1.5 स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण

सब–रजिस्ट्रार कार्यालयों द्वारा क्षेत्रों के गलत श्रेणीकरण के परिणामस्वरूप ₹ 36.44 लाख के स्टाम्प शुल्क तथा पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

रा.रा.क्षे.दि.स. ने (दिसम्बर 2012) भूमि तथा अचल सम्पत्तियों के मूल्यांकन के लिए संशोधित न्यूनतम सर्कल दरों को अधिसूचित किया। दिल्ली में क्षेत्रों को 'ए' से 'एच' श्रेणी में श्रेणीबद्ध किया गया तथा प्रत्येक श्रेणी के लिए न्यूनतम दरें निर्धारित की गई।

वर्ष 2014–15 के दो सब–रजिस्ट्रार कार्यालयों[8] के रिकॉर्डों की नमूना जांच से पता चला कि 31 मामलों में पंजीकरण प्राधिकारियों द्वारा क्षेत्रों का गलत श्रेणीकरण करने के परिणामस्वरूप कम सर्किल दरें लागू करने के कारण ₹ 36.44 लाख की स्टाम्प ड्यूटी तथा पंजीकरण शुल्क का कम उद्ग्रहण हुआ।

इंगित करने पर, विभाग ने (जून 2016) सर्कल दर अधिसूचना के अनुसार राजस्व गांवों की श्रेणी की सूची उपलब्ध करवाई जोकि विभाग द्वारा क्षेत्रों की त्रुटिपूर्ण अवधारणा की पुष्टि करता है।

मामला सरकार को जुलाई, 2016 में भेजा गया; उनका उत्तर प्रतीक्षित था (नवम्बर 2016)।

[8]सं.रं–I (कश्मीरी गेट), स.र.–IX (कापसहेड़ा)